उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-जीआई 208/नौ-5-2013-215सा/08टीसी
लखनऊः: दिनांकः 11 सितम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-2060/नौ-5-2012-215सा/08टीसी दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा **समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति** का गठन किया गया है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12.07.2012 में **नामांकित किये जाने वाले सदस्यों की श्रेणी की व्यवस्था में** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-14012/101(18)/2010- एनयूआरएम-।।, दिनांक 28.11.2011 की व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित संशोधन की अपेक्षा की गई है। संयुक्त सचिव (मिशन), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्धशा.पत्र संख्या-के-14012/101(3)/2012-एनयूआरएम-2 दिनांक 10 जुलाई, 2013 के साथ संलग्न समसंख्यक पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-14012/101(18)/2010- एनयूआरएम-।।, दिनांक 28.11.2011 के क्रमांक-2 (V), (VI) तथा (VII) में यथा- उल्लिखित श्रेणी के लोगों के नामांकन के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की उस पर सहमति के पश्चात् निर्णय लिया गया है तथा यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भी है। यह भी सूचित किया गया है कि मंत्रालय संबंधित जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों से इस सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त होने पर ही उल्लिखित श्रेणियों के लोगों को नामित कर रहा है और यह भी देखा गया है कि नामित व्यक्ति केवल उसी जिले के होते हैं, अतः उन्हें बाहरी न माना जाय। यह भी कि संविधान के अनुच्छेद 243-ब में यथाउल्लिखित नगरपालिका के कार्यकरण में यह कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि समिति का उद्देश्य जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत परियोजनाओं और सुधारों का संतोषजनक रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन को सुचारू बनाना है।

2- उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अपेक्षित संशोधन का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2060/नौ-5-2012-215सा/08टीसी दिनांक 12.07.2012 के प्रस्तर-2-2 (2) के (ड.), (च) व (छ) में उल्लिखित "**राज्य सरकार**" के स्थान पर "**मंत्रालय (अर्थात भारत सरकार)**" पढ़ा जाय। इस संशोधन के पश्चात् कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12.07.2012 के सन्दर्भित प्रस्तर की व्यवस्था निम्नवत् होगी-

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2060/नौ-5-2012-215सा/08टीसी दिनांक 12.07.2012 के प्रस्तर-2-2(2) के (ड.), (च) व (छ) की व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
(ड.) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी ख्याति प्राप्त सरकारी संगठन से एक सदस्य।	(ड.) मंत्रालय (अर्थात् भारत सरकार) द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी ख्याति प्राप्त सरकारी संगठन से एक सदस्य।
(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समाज कार्य अथवा सामाजिक विज्ञान क्षेत्र से एक अध्यव्यवसायी।	(च) मंत्रालय (अर्थात् भारत सरकार) द्वारा नामनिर्दिष्ट समाज कार्य अथवा सामाजिक विज्ञान क्षेत्र से एक अध्यव्यवसायी।
(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला के प्रत्येक वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि।	(छ) मंत्रालय (अर्थात् भारत सरकार) द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला के प्रत्येक वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ड.), (च) और (छ) के सदस्यों को नगरीय प्रशासन और विकास का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखना अपेक्षित होगा।	प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ड.), (च) और (छ) के सदस्यों को नगरीय प्रशासन और विकास का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखना अपेक्षित होगा।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.07.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष व्यवस्थाएं/शर्तें यथावत् रहेंगी।

सी0बी0 पालीवाल
प्रमुख सचिव

संख्या-जीआई 208(1)/नौ-5-2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2- सचिव, भारत सरकार, शहरी आवास एवं गरीबी उन्नमूलन उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3- संयुक्त सचिव(मिशन), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4- निदेशक (एनयूआरएम-5), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, जेएनएनयूआरएम निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5- समित के समस्त अध्यक्ष/सदस्य।
6- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रम विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- सचिव, उ0प्र0 विधान परिषद् सचिवालय।
10- सचिव, उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त महापौर/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
14- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0/स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, लखनऊ।
15- निदेशक, सूडा/स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, लखनऊ।
16- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
17- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
18- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
19- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
20- परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण।
21- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)

आज्ञा से,

11/9/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव